

2021
342

171

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
डाकना पत्र	264 2021	15-11-21	सरदार नगर			

अनवान

श्री. नानू पति उगम लाल कुमावत बनाम श्री. राज. सरवर्क
निवासी सरदार नगर



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेसपो.

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

(बनेड़ा)

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खोखर की जमाबन्दी सन्वत् 2073 से 76 के खाता संख्या 481, 648, 652 में

नाम जानू पति उगम (उगमलाल) की द्वारा जानू पति उगमलाल करगेलर

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खोखर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सन्वत् 2073 से 76 खाता संख्या 481, 648, 652 में प्रार्थी का नाम जानू पति उगम (उगमलाल) दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम जानू पति उगमलाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 खोखर

पटवारी खोखर

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी खोखर व भू0अ0नि0 खोखर एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज आधार पर ग्राम खोखर की जमाबन्दी सन्वत् 2073 से 76 की खाता संख्या 481, 648, 652 में प्रार्थी का नाम जानू पति उगम (उगमलाल) के बजाय जानू पति उगमलाल किये जाने हेतु अभिशप की जानी है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

बनेड़ा (सीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बनेड़ा ग्राम खोखर जमाबन्दी सन्वत् 2073 से 76

खाता संख्या 481, 648, 652 में दर्ज प्रार्थी का नाम जानू पति उगम (उगमलाल) के स्थान पर जानू पति उगमलाल

संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
समाधान अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गांवो के संग
अभियान-2021